न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, भरतपुर

(पीठासीन अधिकारी: बीना महावर, आर0ए0एस0)

पत्रावली संख्या : 06/2020 प्रार्थना पत्र (खा.सु.अ.)

जगदीश प्रसाद गुप्ता, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भरतपुर।

आवेदक

बनाम

अशोक कुमार खण्डेलवाल पुत्र रघुनाथ प्रसाद उम्र 67 वर्ष जाति वैश्य मालिक एवं विक्रेता, अशोक मावा भण्डार मण्डी अटलबन्ध, भरतपुर निवासी सेढ का मढ, गंगा मंदिर, भरतपुर।

गैरसायल

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 26(2)(ii) 51 एफएसएस एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित :

1. प्रार्थी स्वयं
2. गैरसायल स्वयं एवं श्री सी.एम. गुप्ता, एडवोकेट

निर्णय

दिनांक : 22.12.2021

आवेदक द्वारा यह प्रार्थना पत्र अंतर्गत 26(2)(ii) एफएसएस एक्ट 2006 रूल्स 2011 के अन्तर्गत विरूद्ध गैरसायल दिनांक 08.07.2020 को प्रस्तुत किया गया है। गैरसायल को जरिये नोटिस तलब किया गया। नियत दिनांक 22.12.2021 को गैरसायल मय अभिभाषक उपस्थित। इस्तगासा की नकल देते हुये गैरसायल को इस्तगासा में अंकित आरोप सुनाया गया कि दिनांक

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
भरतपुर (राज.)

16.10.2019 को प्रातः 11.00 बजे गैरसायल की दुकान मैसर्स अशोक मावा भण्डार, मण्डी अटलबन्ध, भरतपुर का निरीक्षण किया गया। दौराने निरीक्षण/जांच गैरसायल की उक्त दुकान पर आम जनता के इस्तेमाल के लिये विक्रय हेतु लोहे की बाल्टी में 10 किग्रा0 मावा रखा हुआ पाया गया। जिनमें मिलावट का संदेह होने पर नियमानुसार मौके पर नमूना लिया गया। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत नियमानुसार कार्यवाही अमल में लायी गई। खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस/762/एक्ट/2029/740 दिनांक 04.12.2019 द्वारा उक्त मावा का नमूना अवमानक खाद्य पदार्थ (Substandard Food) प्रकृति का पाया गया है। गैरसायल द्वारा अवमानक खाद्य पदार्थ (Substandard Food) प्रकृति का मावा विक्रय करके एफएसएसए 2006 की धारा 26(2)(ii) का उल्लंघन किया गया है।

आरोपों को सुन व समझकर गैरसायल का कथन है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा गैरसायल की फर्म मैसर्स अशोक मावा मण्डार, मण्डी अटलबन्ध, भरतपुर से मावा की जांच हेतु नमूना लिया गया है। जो खाद्य विश्लेषण अलवर की जॉच रिपोर्ट में अवमानक खाद्य पदार्थ (Sabstandard Food) प्रकृति का पाया गया है। गैरसायल के द्वारा उक्त मावा के निर्माण में जो अनियमितता रही है वह सहवन से हुई है। उक्त मावा की जांच रिपोर्ट में हानिकारक नहीं माना जाकर अवमानक स्तर का पाया गया है। गैरसायल द्वारा यह त्रृटी सहवन से होने के कारण आरोप को स्वीकार करता है। गैरसायल भविष्य में सावधानी पूर्वक देखभाल करके ही कोई प्रोडेक्ट का विक्रय करेगा। गैरसायल के प्रति नरमरूख अपनाते हुये कार्यवाही की जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। गैरसायल के कथनों पर मनन किया गया। दिनांक 16.10.2019 को प्रातः 11.00 बजे दौराने निरीक्षण/जांच गैरसायल की दुकान पर आम जनता के विक्रय हेतु मावा करीब 10 किग्रा0 रखा हुआ पाया गया। खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस/762/एक्ट/2019/740 दिनांक 04.12.2019 के द्वारा उक्त मावा का नमूना अवमानक खाद्य पदार्थ (Sabstandard Food) प्रकृति का पाया गया है। जांच रिपोर्ट के अनुसार Moisture contents% का मानक Max. 45.0% होना चाहिये था परन्तु इसका मानक 45.15 पाया गया है जो निर्धारित मानक से अधिक है। इसी प्रकार Total Milk Solids% का

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
भरतपुर (राज.)

मानक Min= 55.0% होना चाहिये था परन्तु 53.85 पाया गया है जो निर्धारित मानक से कम है। सी प्रकार Fat contents% (by weight) On dry weight basis. का मानक Min= 30.0% ना चाहिये था परन्तु इसका मानक 21.86 पाया गया है जो निर्धारित मानक से कम है। दौराने नवाई गैरसायल के द्वारा भविष्य में इस प्रकार की अनियमियता की पुनरावृति नही करने एवं वधानी पूर्वक फूड प्रोडेक्ट का विक्रय करना स्वीकार किया है। गैरसायल के विरूद्ध पूर्व में करण संख्या 14/2014 दर्ज हुआ है। गैरसायल के द्वारा यह गलती दूसरी बार की है। गैरसायल इस प्रकार की अनियमियता की पुनरावृति नही किये जाने की चेतावनी दी जाती है। अतः उक्त धिनियम की धारा 51 के तहत गैरसायल के द्वारा की गई अनियमितता के आधार पर 000/–रूपये (दस हजार रूपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। गैरसायल अर्थदण्ड की ो नियमानुसार राजकोष में जमा करावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर जावे।

निर्णय आज दिनांक 22.12.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बीना महावर)
न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर